



**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR**

S.B. Civil Miscellaneous Appeal No. 511/2020

1. Navneet Saraf S/o Late Shri Girdhari Lalji Saraf,
Resident Of Flat No. 704, Koral Somdutt, Land
Marg, 22 Godown Circle, Jaipur
2. Smt. Suman Saraf W/o Late Shri Girdhari Lal
Saraf, Resident Of Flat No. 704, Koral Somdutt,
Land Marg, 22 Godown Circle, Jaipur
3. Smt. Nilima Marwariya W/o Shri Sunil Marwariya,
Resident Of 905, Geejgarh Vihar, 22 Godown,
Jaipur
4. Smt. Nadiya Marwariya W/o Shri Kamal
Marwariya, Resident Of 402, Vijayas Niwas,
Gulmohar Road No. 1, JVPD Scheme, Opp.
Reliance Webworld, Near Talwarkars Sujoy
Hospital, Andheri, (East) Mumbai-49

----Appellants

Versus

1. Kumari Girisha Saraf D/o Shri Navneet Saraf,
Resident Of Plot No. C-114, Shivaji Marg, Tilak
Nagar, Jaipur
2. Samay Saraf S/o Shri Navneet Saraf, Resident Of
Plot No. C-114, Shivaji Marg, Tilak Nagar, Jaipur
3. Smt. Neeta Saraf W/o Shri Navneet Saraf,
Resident Of Plot No. C-114, Shivaji Marg, Tilak
Nagar, Jaipur

----Respondents

For Appellant(s)	:	Mr. Abhay Kumar Bhandari, Sr. Adv. with Mr. Jai Sharma, Adv. & Mr. Rahul Sharma, Adv.
For Respondent(s)	:	Mr. Rajat Ranjan, Adv. with Mr. Rohan Agarwal, Adv. Mr. Samar Pratap Singh Naruka,



[2026:RJ-JP:7371]

(2 of 12)

[CMA-511/2020]

Adv.
Mr. Abhay Nath Deora, Adv.

HON'BLE MR. JUSTICE UMA SHANKER VYAS

Judgment / Order

i. The date of conclusion of arguments: 16.02.2026

ii. The date on which the judgment was reserved: 16.02.2026

iii. Whether the full judgment or only the operative part was pronounced: Full Judgment

iv. The date of pronouncement: 18.02.2026

1. अपीलार्थी-प्रतिवादीगण-अप्रार्थीगण (आगे "अप्रार्थीगण" कहा जावेगा) की ओर से यह अपील आदेश 43 नियम 1 सी.पी.सी. के तहत प्रत्यर्थीगण-वादीगण-प्रार्थीगण (आगे "प्रार्थीगण" कहा जावेगा) के विरुद्ध विद्वान अपर जिला न्यायाधीश, कम-13, जयपुर महानगर द्वारा दीवानी विविध प्रकरण संख्या 15/2014(522/11) में पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.10.2019 से व्यथित होकर पेश की है जिसके माध्यम से प्रार्थीगण का आवेदन अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 सी.पी.सी. स्वीकार करते हुए निम्नानुसार आदेश पारित किया-

“अतः प्रार्थीगण कुमारी गिरिशा व अन्य की ओर से अप्रार्थीगण नवनीत सराफ व अन्य के विरुद्ध प्रस्तुत प्रा. पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा का न्याय हित में स्वीकार किया जाकर पक्षगण को ताफैसला मूल वाद के जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि अप्रार्थीगण वाद पत्र व प्रा0 पत्र के शिड्यूल “ए, बी व सी” में वर्णित संपत्तियों का

किसी भी तरह से विक्रय व अंतरण नहीं करे तथा पक्षगण उक्त वादग्रस्त संपत्ति की आज के अनुरूप मौके की यथास्थिति बनाए रखे।”

2. सुसंगत तथ्य यह है कि प्रार्थीया क्रम-3 का विवाह अप्रार्थी क्रम-1 के साथ हुआ है, वाद प्रस्तुति के समय वह अप्रार्थी क्रम-1 की पत्नी थी, लेकिन वर्तमान में दोनों पक्षों ने स्वीकार किया है कि दोनों पक्षों के बीच में विवाद विच्छेद हो चुका है। प्रार्थीगण क्रम-1 व 2, प्रार्थीया क्रम-3 व अप्रार्थी क्रम-1 के क्रमशः पुत्री-पुत्र हैं। प्रार्थीगण की ओर से विचारण न्यायालय के समक्ष आदेश 39 नियम 1 व 2 सी.पी.सी. का आवेदन पेश कर उसके साथ शेड्यूल ए, बी तथा सी संलग्न कर यह अभिकथित किया कि इनमें वर्णित अचल तथा चल सम्पत्ति प्रार्थी क्रम-1 व 2 के दादा, परदादा के संयुक्त परिवार और संयुक्त परिवार के व्यवसाय से अर्जित की गयी है जिसमें प्रार्थी क्रम-1 व 2 का भी जन्म से अधिकार है, जिसके संबंध में विभाजन का वाद प्रस्तुत किया जा चुका है, परन्तु विपक्षीगण इस सम्पत्ति को विभाजन से पूर्व ही अन्तरित करने पर आमादा हैं और इस आधार पर अस्थायी व्यादेश चाहा जिस पर अपीलाधीन आदेश उपरोक्तानुसार पारित किया गया।

3. विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थीगण का निवेदन है कि अनुसूची-सी में वर्णित चल सम्पत्ति वास्तव में अस्तित्व में नहीं है, कोई राशि बैंक खाते में जमा है तो संबंधित व्यक्ति द्वारा ही आहरित की जायेगी। अनुसूची ए, बी में वर्णित अचल सम्पत्तियों को संयुक्त परिवार की अथवा संयुक्त परिवार की आय से अर्जित होने के तथ्य को प्रार्थीगण द्वारा किसी भी रूप में प्रमाणित नहीं किया है। ये सम्पत्तियां संबंधित व्यक्तियों की निजी संपत्ति हैं, अतः ऐसी स्थिति में अकारण वास्तविक स्वामियों को अन्तरण से प्रतिबंधित किया

जाना उचित नहीं था, अपीलाधीन आदेश तथ्यों व विधि के विरुद्ध होना बताते हुए अपास्त किये जाने का निवेदन किया।

4. इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से यह निवेदन किया कि अनुसूची ए तथा बी में वर्णित सम्पत्तियां संयुक्त हिन्दू परिवार की अथवा संयुक्त हिन्दू परिवार के व्यवसाय की आय से अर्जित किये जाने के संबंध में प्रार्थीगण की ओर से शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है, मूल वाद में यह बिन्दु अंतिम रूप से तय होगा और यदि विभाजन का वाद लंबित रहने के दौरान सम्पत्ति को अन्तरित कर दिया जाता है तो वाद निष्फल हो जायेगा। उनका यह भी निवेदन है कि अपीलाधीन आदेश पूर्णतः तथ्यों व विधि के अनुरूप है, अन्त में यह अपील खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5. विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीगण-अप्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त Uttam Vs. Saubhag Singh 2016 AIR (SCW) 1169, Yudhisthar Vs. Ashok Kumar AIR 1987 SC 558 तथा Commissioner of Wealth Tax Kanpur etc Vs. Chandrasen AIR 1986 SC 1753 के मामलों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह व्यवस्था प्रतिपादित की गयी है कि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 (आगे “अधिनियम-1956” कहा जावेगा) के प्रभाव में आने से पूर्व किसी पुत्र को पिता से सम्पत्ति न्यागत होने पर वह सहदायक सम्पत्ति मानी जाती थी, परन्तु उक्त “अधिनियम-1956” के प्रभाव में आने के पश्चात किसी पुत्र को अपने पिता की स्व-अर्जित सम्पत्ति न्यागत होती है तो वह धारा-8 हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत उत्तराधिकार में प्राप्त होती है और ऐसा पुत्र सम्पूर्ण और आत्यांतिक अधिकारों के साथ यह

सम्पत्ति प्राप्त करता है तथा ऐसे पुत्र के पुत्र अपने पिता के जीवनकाल में ऐसी सम्पत्ति में कोई हित अथवा अधिकार का दावा नहीं कर सकते।

6. विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थी-प्रार्थीगण की ओर से इस न्यायालय की समकक्ष पीठ द्वारा एकलपीठ दीवानी विविध अपील संख्या 990/2023 Surajmal Vs. Chandra Prakash में पारित आदेश दिनांक 26.04.2024 का अवलोकन किया। उपरोक्त मामले में उपलब्ध सामग्री के अनुसार यह प्रथमदृष्टया स्पष्ट था कि यद्यपि सम्पत्ति विपक्षी संख्या-1 के नाम से खरीदी गयी थी, परन्तु उसमें संयुक्त हिन्दु परिवार की आय निवेशित हुई है।

7. प्रत्यर्थी-प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत अन्य न्यायिक निर्णय Adivappa & Ors. Vs. Bhimappa & Anr. (2017) 9 SCC 586 के मामले में मूल वाद अंतिम रूप से निर्णीत हो चुका था, द्वितीय अपील का मामला था और यह अभिनिर्धारित किया गया कि संयुक्त परिवार की परिकल्पना उपलब्ध सामग्री के अनुसार की जाना उचित है, लगभग यही व्यवस्था न्यायिक निर्णय Indranarayan Vs. Roop Narayan & anr. (1971) 2 SCC 438 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित की गयी है। न्यायिक निर्णय Mangathai Ammal (Died) through LRs & Ors. Vs. Rajeshwari & Ors. (2020) 17 SCC 496 के मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि सम्पत्ति खरीदने में किस व्यक्ति का निवेश में योगदान रहा है, यह महत्वपूर्ण है। Pushpalata Vs. Vijay Kumar (Dead) through LRs. & Ors. 2022 Supreme (SC) 881 के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह व्यवस्था प्रतिपादित की गयी है कि जहां किसी व्यक्ति द्वारा

सम्पत्ति को बेनामी अभिकथित और प्रमाणित कर दिया गया है तो दृश्यमान स्वामी द्वारा इस तथ्य को खंडित करने का भार आ जाता है। Harish Ishwarbhai Patel Vs. Jatin Ishwarbhai Patel & Ors. 2022 Supreme (SC) 1089 तथा Ajay Singh Vs. Sh. Vijay Singh @ Bazza Singh 2025 Supreme (Raj). 1459 के मामलों में आदेश 39 नियम 1 व 2 सी.पी.सी. का आवेदन लंबित था और प्रकरण विशेष की परिस्थितियों के अनुसार आदेश पारित हुआ है, उपरोक्त दोनों निर्णयों में कोई स्वर्णिम सर्वमान्य सिद्धान्त प्रतिपादित नहीं हुआ है।

8. उपरोक्त न्यायिक निर्णयों में प्रतिपादित व्यवस्था के अनुसार सामान्य रूप से यह विधिक उपधारणा का प्रावधान है कि कोई अचल सम्पत्ति जिस व्यक्ति के नाम से है, वही उसका स्वामी माना जावेगा, ऐसा व्यक्ति मात्र दृश्यमान स्वामी है और वास्तविक स्वामी अन्य व्यक्ति है तथा उसकी आय निवेशित हुई है, इस तथ्य को सिद्ध करने का भार ऐसे व्यक्ति पर है जो यह अभिकथित करता है कि दृश्यमान स्वामी, वास्तविक स्वामी नहीं होकर बेनामी स्वामी है। वर्तमान मामले में प्रार्थीगण यह अभिकथित कर रहे हैं कि अनुसूची ए, बी तथा सी में वर्णित सम्पूर्ण चल व अचल सम्पत्ति प्रार्थीगण 1 व 2 के परदादा और दादा के संयुक्त परिवार के व्यवसाय से हुई आय के माध्यम से खरीद की गयी हैं और इस कारण से उनका जन्म से ही इन सम्पत्तियों पर अधिकार है। इस संबंध में प्रत्येक सम्पत्ति के अर्जन व स्वामित्व के संबंध में अलग-अलग विवेचन व विश्लेषण किया जाना उचित होगा।

9. अनुसूची-ए में वर्णित भूखण्ड संख्या 145-146, सीतापुरा इंडस्ट्रीयल एरिया, टोंक रोड, जयपुर सर्वप्रथम दिनांक 18.10.1995

को मैसर्स इंडिया इमेज भागीदारी फर्म द्वारा अर्जित की गयी है जिसमें भागीदार अप्रार्थी क्रम-1 व 2 हैं। भूखण्ड संख्या के-4 केशव पथ सी-स्कीम, जयपुर उपलब्ध अभिलेख के अनुसार श्रीमती सुधाबाई का था, उसके द्वारा यह भूखण्ड मैसर्स रेडिकट प्राईवेट लिमिटेड को विक्रय किया गया जिससे अप्रार्थी क्रम-1 द्वारा दिनांक 16.08.2004 को पंजीकृत विक्रय विलेख के माध्यम से 25,00,000/- रुपये ऋण प्राप्त कर तथा व्यक्तिगत आय निवेश करते हुए खरीदा गया है और इस भूखण्ड के संबंध में ज्वाइंट वेंचर डवलपमेंट एग्रीमेंट दिनांक 14.04.2010 करते हुए दिनांक 07.07.2010 को इस भूखण्ड का कब्जा अप्रार्थी क्रम-1 द्वारा डवलपर को दे दिया गया है। अनुसूची-ए में ही वर्णित रुकमणी गार्डन बी-2/ई और बी-2/एफ के संबंध में प्रस्तुत अभिलेख व अभिकथनों के अनुसार यह सम्पत्ति प्रार्थी क्रम-1 व 2 के दादा गिरधारी लाल तथा गिरधारीलाल के भाई प्रहलाद राय व विमल सर्राफ द्वारा व्यक्तिगत हैसियत से संयुक्त रूप से खरीदी गयी थी। गिरधारी लाल की मृत्यु के पश्चात उसके अन्य विधिक उत्तराधिकारियों की ओर से दिनांक 17.01.2002 को पंजीकृत रिलीज डीड के माध्यम से अप्रार्थी क्रम-1 नवनीत के पक्ष में हकत्याग किया जा चुका है। इसी अनुसार नवनीत के पिता के भाई प्रहलाद राय तथा विमल सर्राफ द्वारा दिनांक 09.06.2008 तथा 07.06.2008 की पंजीकृत रिलीज डीड के माध्यम से नवनीत के पक्ष में यह सम्पत्ति रिलीज की जा चुकी है और तत्पश्चात उसका एकल स्वामी विपक्षी संख्या-1 नवनीत हुआ और दिनांक 15.12.2009 को पंजीकृत विक्रय विलेख के माध्यम से यह सम्पत्ति

मैसर्स सैन ड्यून कंस्ट्रक्शन को विक्रय की जा चुकी है, अतः अब यह सम्पत्ति वाद का विषय नहीं हो सकती।

10. अनुसूची-ए में वर्णित क्रम-4 पर उल्लेखित सम्पत्ति सर्राफ हाउस एम.आई. रोड, जयपुर दिनांक 23.04.2007 को पंजीकृत विक्रय विलेख के माध्यम से मैसर्स प्रेमनाथ मोटर्स द्वारा M/s. Agile Data Solutions Pvt Ltd को विक्रय की गयी है। यद्यपि M/s. Agile Data Solutions Pvt Ltd में नवनीत का निदेशक होना प्रकट हुआ है, परन्तु यह सम्पत्ति वाद प्रस्तुति के समय पक्षकारों की निजी हैसियत से अथवा पुष्टतैनी सम्पत्ति रही हो, यह तथ्य प्रमाणित नहीं है। अनुसूची-ए के क्रम-5, 6 तथा 7 पर उल्लेखित सम्पत्ति वाद प्रस्तुति से पूर्व ही अन्तरित हो चुकी हैं तथा प्रथमदृष्टया अब विभाजन योग्य नहीं रही हैं।

11. उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अनुसूची-ए में वर्णित सम्पत्तियां प्रार्थी क्रम-1 व 2 के दादा गिरधारी लाल के संयुक्त परिवार की रही हों, अथवा संयुक्त परिवार के व्यवसाय की आय से अर्जित की गयी हों, इस संबंध में पत्रावली पर प्रार्थीगण के खंडित शपथ पत्र के अलावा और कोई सामग्री नहीं है। इसके विपरीत अपीलार्थी पक्ष की ओर से जो साक्ष्य प्रस्तुत की गयी है, उसके अनुसार यह स्पष्ट हो जाता है कि ये सम्पत्तियां प्रार्थी क्रम-1 व 2 के पिता अथवा दादा के संयुक्त परिवार की रही हैं अथवा संयुक्त परिवार के व्यवसाय से हुई आय के माध्यम से खरीदी गयी हैं, यह तथ्य प्रथमदृष्टया प्रमाणित नहीं हुआ है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि संयुक्त परिवार की परिकल्पना की जा सकती है, परन्तु संयुक्त परिवार की आय अथवा व्यवसाय के तथ्य को पृथक से प्रमाणित किया जाना आवश्यक है, परन्तु उसमें प्रार्थीगण पूर्णतः

असफल रहे हैं। प्रार्थी क्रम-1 व 2 के पिता, दादा अथवा परदादा का संयुक्त परिवार का कोई व्यवसाय हो, इस संबंध में खंडित शपथ पत्र के अलावा कोई सामग्री प्रस्तुत नहीं हुई है। मैसर्स रेडिकट प्राईवेट लिमिटेड प्रार्थीगण के दादा अथवा परदादा का संयुक्त परिवार का व्यवसाय रहा हो, उसकी कोई आय रही हो और उससे अनुसूची-ए में वर्णित सम्पत्ति खरीदी गयी हो, यह तथ्य किसी भी रूप में प्रकट नहीं हुआ है।

12. जहां तक द्वितीय अनुसूची में वर्णित सम्पत्ति 11 नीदर लैण्ड्स रोड्स, न्यू बोरनेट, ईएन-5 आईबीएन (यू.के.) का संबंध है, उपलब्ध अभिलेख के अनुसार यह सम्पत्ति प्रार्थी क्रम-3 व अप्रार्थी क्रम-2 के अधिकारों की है, इस सम्पत्ति में भी गिरधारी लाल सर्राफ अथवा नवनीत के संयुक्त परिवार की आय निवेशित हुई हो, यह तथ्य स्पष्ट नहीं है। अनुसूची-बी में वर्णित भूखण्ड संख्या जी-691 सीतापुरा इंडस्ट्रीयल एरिया, टोंक रोड जयपुर श्रीमती नीता सर्राफ अथवा अर्थात् प्रार्थी क्रम-3 के अधिकारों की है, इस सम्पत्ति को विपक्षीगण किसी भी रूप में अन्तरित करने हेतु सक्षम भी नहीं हैं और इसके अलावा इस सम्पत्ति के संबंध में श्रीमती नीता और उसके पति नवनीत के बीच पृथक से घोषणा के संबंध में एक वाद लंबित है जिसमें प्रस्तुत दीवानी विविध प्रकरण संख्या 66/2025 में आदेश 39 नियम 1 व 2 सी.पी.सी. स्वीकार करते हुए दोनों पति-पत्नी को सम्पत्ति किसी भी रूप में अन्तरित करने से रोक रखा है, अतः ऐसी स्थिति में जब सक्षम न्यायालय द्वारा पृथक से अस्थायी व्यादेश जारी हो रखा है तो इस मामले में ऐसा आदेश प्रभावी रखे जाने की कोई आवश्यकता नहीं है।

13. अनुसूची-सी में वर्णित चल सम्पत्ति के संबंध में उल्लेखनीय है कि दोनों ही पक्षों का निवेदन है कि बैंक खाते में कोई राशि जमा है तो संबंधित व्यक्ति ही उसका अधिकारी है, प्रार्थी क्रम-1 व 2 अब दोनों वयस्क हो चुके हैं। जहां तक सोने-चांदी के जेवरात तथा अन्य चल सम्पत्ति का संबंध है, ऐसी सम्पत्ति अस्तित्व में हो और संयुक्त परिवार की आय से अर्जित की गयी हो, इस संबंध में कोई सामग्री पत्रावली पर नहीं है, अतः ऐसी स्थिति में इस संबंध में भी प्रार्थीगण-वादीगण प्रथमदृष्ट्या कोई मामला प्रमाणित नहीं कर पाये हैं।

14. यहा यह भी उल्लेखनीय है कि स्वयं प्रार्थीगण यह अभिकथित करते हैं कि गिरधारीलाल तथा उनके दो भाई प्रहलाद राय तथा विमल सर्राफ द्वारा संयुक्त रूप से सम्पत्ति अर्जित की गयी थी और उसका वर्ष 1992 में ही बंटवारा हो चुका है। यदि ऐसी सम्पत्ति का तीन संयुक्त स्वामियों के बीच में बंटवारा हुआ है, तब भी प्रत्येक प्राप्तकर्ता व्यक्ति निजी हैसियत से यह सम्पत्ति प्राप्तकर्ता है और ऐसी स्थिति में ऐसे बंटवारे के माध्यम से प्रार्थी क्रम-1 व 2 के दादा गिरधारी लाल को प्राप्त सम्पत्ति उसकी निजी सम्पत्ति है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि प्रार्थी क्रम-1 व 2 के परदादा श्री उमादत्त जी सर्राफ का हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के प्रभाव में आने के पश्चात दिनांक 31.05.1965 को स्वर्गवास हुआ है, अतः ऐसी स्थिति में उनके द्वारा छोड़ी गयी निजी सम्पत्ति धारा-8 हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारियों को पूर्ण व आत्यांतिक अधिकारों के साथ उत्तराधिकार में प्राप्त होती है। गिरधारीलाल की मृत्यु वर्ष 2000 में हुई है, अतः एक बार उनके द्वारा कोई सम्पत्ति छोड़ी

गयी माना भी जावे तब भी विपक्षीगण के प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी होने के नाते उन्हें व्यक्तिगत रूप से निजी सम्पत्ति के रूप में उत्तराधिकार में यह सम्पत्ति प्राप्त हुई है और जब तक विपक्षी संख्या-1 नवनीत जीवित है, तब तक उसकी पुत्री अथवा पुत्र क्रमशः प्रार्थी क्रम-1 व 2 को इस सम्पत्ति में जन्म से अथवा किसी भी रूप में कोई अधिकार नहीं माना जा सकता, प्रार्थी क्रम-1 व 2 के पिता इस सम्पत्ति को अपने जीवनकाल में अपनी इच्छानुसार अन्तरित करने हेतु सक्षम हैं।

15. उपरोक्त विवेचनानुसार स्पष्ट है कि प्रार्थीगण द्वारा एक अत्यंत ही सरसरी व निराधार अभिकथन यह लिया गया है कि अनुसूची ए, बी तथा सी में वर्णित सम्पत्तियां गिरधारीलाल के संयुक्त परिवार के व्यवसाय की आय से अर्जित की गयी है, परन्तु इस संबंध में प्रार्थीगण के खंडित शपथ पत्र के अलावा पत्रावली पर और कोई सामग्री नहीं है। इसके विपरीत विपक्षीगण की ओर से प्रस्तुत पंजीकृत विक्रय विलेख और अन्य दस्तावेजों से यह स्पष्ट हो चुका है कि ये सम्पत्तियां गिरधारीलाल अथवा नवनीत के संयुक्त परिवार की अथवा सहदायक सम्पत्तियां नहीं होकर संबधित व्यक्तियों की निजी व स्व-अर्जित सम्पत्ति हैं और उसमें प्रार्थीगण का कोई हक-हिस्सा नहीं है। अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण के पक्ष में कोई प्रथमदृष्टया मामला नहीं है, लेकिन उसके बावजूद विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा तथ्यों व विधिक प्रावधानों के विपरीत जाकर बिना किसी उचित आधार के प्रार्थीगण के पक्ष में प्रथमदृष्टया मामला प्रमाणित माना है जो उचित नहीं है।

16. अनुसूची ए तथा बी में वर्णित सम्पत्तियों के स्वामियों को अन्तरण से अकारण रोका जाता है तो उनके ही विधिक अधिकारों



का हनन होगा और उन्हें ही तुलनात्मक रूप से अधिक असुविधा व अपूर्णनीय क्षति होगी। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि यद्यपि प्रार्थीगण के पक्ष में कोई प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन तथा अपूर्तनीय क्षति नहीं है, परन्तु उसके बावजूद वाद लंबित रहने के दौरान सम्पत्ति अन्तरित होती है तो क्रेता अथवा अन्तरिती धारा 52-ए सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार लिस-पेंडेंस (Lis Pendens) के सिद्धान्त के तहत पारित होने वाले अंतिम निर्णय से आबद्धकर होगा। उपरोक्त विवेचनानुसार स्पष्ट है कि अपीलाधीन आदेश तथ्यों व विधि के अनुरूप नहीं है, अतः अपास्त होने तथा यह अपील मंजूर होने योग्य है।

17. उपरोक्त विवेचनानुसार अपीलार्थी-अप्रार्थीगण की यह अपील स्वीकार की जाती है तथा अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.10.2019 अपास्त किया जाता है।

18. स्थगन प्रार्थना पत्र भी यदि लंबित है तो वह उक्त प्रकार से अस्वीकार माना जाता है।

19. विचारण न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ विचारण न्यायालय को अविलम्ब प्रेषित की जावे।

(UMA SHANKER VYAS),J